भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5078
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

समूह दुर्घटना बीमा योजना

5078. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत शामिल किए गए मछुआरों की संख्या कितनी है और वर्ष वार और राज्य वार कितने दावे प्रस्तुत किए गए, अनुमोदित किए गए अस्वीकृत किए गए और कितने दावे लंबित हैं:

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वर्षवार और राज्य-वार बीमा दावों की कुल कितनी राशि संवितरित की गई;

(ग) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति, बढ़ती जीवन लागत और मछुआरा परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपये के मौजूदा दुर्घटना बीमा कवर की पर्याप्तता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है या अधिकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) क्या सरकार का जीएआईएस के अंतर्गत दुर्घटना बीमा कवर में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित राशि, समय-सीमा और ऐसे संशोधन के आधार सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन लाने हेतु सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 20,750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों और संबद्ध मत्स्य श्रमिकों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें पूरी बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, पूरी प्रीमियम राशि केंद्र द्वारा वहन की जाती है। PMMSY के तहत प्रदान किए गए बीमा कवरेज में शामिल हैं: (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 5,00,000 रुपए, (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 2,50,000 रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 / रुपए । PMMSY के कार्यान्वयन के दौरान गत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) तथा वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) में, प्रतिवर्ष औसतन 33.46 लाख मछुआरों को बीमा कवर प्रदान करते हुए, केंद्र सरकार ने 167.33 लाख मछुआरों के बीमा कवरेज के लिए 149.07 करोड़ रुपए जारी किए हैं । विगत पांच वर्षों के दौरान बीमाकृत मछुआरों की संख्या, दाखिल किए गए दावों, स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित दावों तथा निपटाई गई राशि का राज्य एवं वर्षवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है, जबकि विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के तहत वितरित बीमा दावों की कुल राशि का वर्ष और राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

इसके अलावा, 2015-16 से 2019-20 तक कार्यान्विति की गई पूर्ववर्ती ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के अंतर्गत, मछुआरों के लिए बीमा कवरेज सीमित था, जिसमें राशि लाभ अपेक्षाकृत कम था । राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों और ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के मूल्यांकन के आधार पर, वर्तमान में चल रही PMMSY के तहत GAIS कवरेज को व्यापकता और मूल्य—दोनों दृष्टियों से काफी बढ़ाया गया है, ताकि मछुआरों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित हो सके। अतएव, पूर्ववर्ती ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के तहत निर्धारित राशि की तुलना में बीमा राशि में वृद्धि की गई है, यानि दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए बीमा राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए, साथ ही अस्पताल में भर्ती सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक की कर दी गई है।

अनुबंध- I

समूह दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5078 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण; विगत पाँच वर्षों के दौरान बीमाकृत मछुआरों की संख्या, दायर किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित दावों का राज्य और वर्षवार विवरण।

PMMSY GAIS 2021-22								
कवरेज अवधि (26.07.2021 से 25.07.2022 तक)								
क्रम. स	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम**	**कवर किए गए मछुआरों की संख्या**	**दायर किए गए दावों की संख्या**	**स्वीकृत दावे**	**तय की गई राशि (रु. में)**	**अस्वीकृत दावे**	**लंबित दावों की संख्या**	**बीमा कंपनी के पास प्रक्रियाधीन दावे**
1	असम	1,54,987	2	2	5,23,746	9	लागू नहीं	
2	बिहार	1,50,000	2	0	0	9		
3	छत्तीसगढ़	2,20,340	0	0	0	0		
4	गुजरात	41,273	1	1	5,00,000	0		
5	हरियाणा	1,798	0	0	0	0		
6	हिमाचल प्रदेश	13,060	4	3	15,00,000	4		
7	झारखंड	1,60,000	0	0	0	0		
8	कर्नाटक	43,091	1	1	5,00,000	13		
9	मणिपुर	2,383	0	0	0	0		
10	उड़ीसा	11,50,000	20	16	75,25,000	6		
11	पंजाब	2,985	0	0	0	0		
12	राजस्थान	4,350	0	0	0	0		
13	सिक्किम	363	0	0	0	0		
14	तमिलनाडु	5,23,237	145	120	5,85,75,000	47		
15	तेलंगाना	3,36,799	223	191	9,50,25,000	81		
16	त्रिपुरा	5,000	0	0	0	0		
17	उत्तर प्रदेश	27,244	0	0	0	2		
18	उत्तराखंड	2,086	0	0	0	0		
19	अंदमान और निकोबार	13,022	1	1	5,00,000	1		
20	दिल्ली	250	0	0	0	0		
21	दमन और दिउ	7,393	0	0	0	0		
22	जम्मू एवं कश्मीर	18,742	2	1	5,00,000	2		
23	लक्षद्वीप	2,900	0	0	0	0		
24	लद्दाख	47	0	0	0	0		
25	पुदुच्चेरी	30,238	15	9	40,25,000	8		

PMMSY GAIS 2022-23								
कवरेज अवधि (26.07.2022 से 25.07.2023 तक)								
क्रम. स	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	कवर किए गए मछुआरों की संख्या	दायर किए गए दावों की संख्या	स्वीकृत दावे	तय की गई राशि (रु. में)	अस्वीकृत दावे	लंबित दावों की संख्या	बीमा कंपनी के पास प्रक्रियाधीन दावे
1	अरुणाचल प्रदेश	837	0	0	0	0	लागू नहीं	
2	असम	155,000	2	1	500,000	3		
3	बिहार	150,000	2	1	500,000	2		
4	छत्तीसगढ़	220,495	8	4	1,750,000	10		
5	गोवा	4,061	0	0	0			
6	गुजरात	99,964	15	5	2,500,000	11		
7	हरियाणा	1,814	1	0	0	2		
8	हिमाचल प्रदेश	11,874	1	1	500,000	0		
9	झारखंड	164,000	2	2	1,000,000	3		
10	कर्नाटक	78,983	9	2	1,000,000	11		
11	मध्य प्रदेश	117,499	3	0	0	13		
12	महाराष्ट्र	100,739	4	2	1,000,000	3		
13	मणिपुर	3,383	0	0	0	0		
14	मेघालय	1,013	0	0	0	0		
15	उड़ीसा	1,150,000	31	21	9,600,000	15		
16	पंजाब	3,120	0	0	0	0		
17	राजस्थान	4,857	3	2	1,000,000	1		
18	सिक्किम	599	0	0	0	0		
19	तमिलनाडु	543,949	198	136	64,823,650	85		
20	तेलंगाना	306,857	321	242	119,814,005	141		
21	त्रिपुरा	7,085	1	0	0	1		
22	उत्तर प्रदेश	102,850	3	1	21,385	11		
23	उत्तराखंड	2,101	0	0	0	0		
24	पश्चिम बंगाल	8,499	0	0	0	3		
25	अंदमान और निकोबार	14,000	6	2	1,000,000	9		
26	दिल्ली	251	0	0	0	0		
27	दमन और दिउ	7,447	0	0	0	0		
28	जम्मू एवं कश्मीर	23,026	0	0	0	1		
29	लक्षद्वीप	49	1	0	0	2		
30	लद्दाख	2,307	0	0	0			
31	पुदुच्चेरी	34,200	11	4	1,525,000	10		

PMMSY GAIS 2023-24								
कवरेज अवधि (26.07.2023 से 25.07.2024 तक)								
क्रम. स	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	कवर किए गए मछुआरों की संख्या	दायर किए गए दावों की संख्या	स्वीकृत दावे	तय की गई राशि (रु. में)	अस्वीकृत दावे	लंबित दावों की संख्या	बीमा कंपनी के पास प्रक्रियाधीन दावे
1	अरुणाचल प्रदेश	1,082	0	0	0	0	0	0
2	असम	1,80,378	1	0	0	1	1	0
3	बिहार	1,50,000	2	0	0	1	1	0
4	छत्तीसगढ़	2,20,495	11	6	30,00,000	1	5	0
5	गोवा	3,461	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	1,30,000	15	0	0	2	13	1
7	हरियाणा	1,214	0	0	0	0		0
8	हिमाचल प्रदेश	9,530	3	0	0	2	2	0
9	झारखंड	1,65,000	4	0	0	2	3	0
10	कर्नाटक	80,099	13	4	20,00,000	5	7	0
11	मध्य प्रदेश	1,28,173	7	0	0	5	3	0
12	महाराष्ट्र	76,246	9	1	5,00,000	5	6	0
13	मेघालय	1,022	0	0	0	0		0
14	उड़ीसा	11,11,761	30	20	1,00,00,000	4	9	0
15	पंजाब	3,256	0	0	0	0	0	0
16	राजस्थान	4,856	0	0	0	0	0	0
17	सिक्किम	491	0	0	0	0	0	0
18	तमिलनाडु	5,58,966	196	128	5,99,50,000	31	36	4
19	तेलंगाना	3,73,000	218	166	8,20,50,000	48	30	2
20	त्रिपुरा	8,980	1	0	0	4	0	0
21	उत्तर प्रदेश	1,19,181	7	2	10,00,000	2	3	0
22	उत्तराखंड	3,531	0	0	0	0	0	0
23	अंदमान और निकोबार	14,330	4	0	0	0	4	0
24	दिल्ली	386	0	0	0	0	0	0
25	दमन और दिउ	7,514	0	0	0	0	0	0
26	जम्मू एवं कश्मीर	25,737	2	1	5,00,000	0	1	0
27	लक्षद्वीप	2,520	0	0	0	0	0	0
28	लद्दाख	93	0	0	0	0	0	0
29	पुदुच्चेरी	34,349	19	5	25,00,000	5	9	0

PMMSY GAIS -2024-25								
कवरेज अवधि (01.06.2024 से 31.05.2025 तक)								
क्रम. स	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	कवर किए गए मछुआरों की संख्या	दायर किए गए दावों की संख्या	स्वीकृत दावे	तय की गई राशि (रु. में)	अस्वीकृत दावे	लंबित दावों की संख्या	बीमा कंपनी के पास प्रक्रियाधीन दावे
1	अरुणाचल प्रदेश	837	0	0	0	0	0	0
2	असम	1,93,265	2	1	5,00,000	2	0	0
3	बिहार	1,50,000	4	1	5,00,000	3	0	0
4	छत्तीसगढ़	2,20,525	20	1	5,00,000	4	9	7
5	गोवा	3,518	1	0	0	0	0	1
6	गुजरात	1,10,000	11	1	5,00,000	3	8	0
7	हरियाणा	1,750	0	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	9,526	3	0	0	0	1	2
9	झारखंड	1,73,941	4	1	5,00,000	3	0	3
10	कर्नाटक	80,099	16	6	30,00,000	3	1	7
11	मध्य प्रदेश	1,30,810	5	0	0	3	1	1
12	महाराष्ट्र	1,14,174	28	13	65,00,000	6	4	7
13	मणिपुर	1,268	1	1	5,00,000	0	0	0
14	मेघालय	1,022	0	0	0	0	0	0
15	उड़ीसा	1,131,857	41	18	90,00,000	9	9	7
16	पंजाब	3,116	0	0	0	0	0	0
17	राजस्थान	4,862	0	0	0	0	0	0
18	सिक्किम	633	0	0	0	0	0	0
19	तमिलनाडु	5,73,183	209	131	6,33,26,551	56	14	16
20	तेलंगाना	4,16,000	309	238	11,90,00,000	40	22	22
21	त्रिपुरा	50,000	0	0	0	0	0	0
22	उत्तर प्रदेश	1,50,000	5	1	5,00,000	0	3	1
23	उत्तराखंड	5,147	0	0	00	0	0	0
24	अंदमान और निकोबार	11,507	5	0	0	1	3	2
25	दिल्ली	494	0	0	0	0	0	0
26	दमन और दिउ	7,824	0	0	0	0	0	0
27	जम्मू एवं कश्मीर	28,301	3	0	0	3	1	0
28	लक्षद्वीप	2,863	1	1	18,224	0	0	0
29	लद्दाख	76	0	0	0	0	0	0
30	पुदुच्चेरी	34,608	20	8	35,25,000	4	3	6

PMMSY GAIS 2025-26								
कवरेज अवधि (01.06.2025 से 31.05.2026 तक)								
क्रम .स	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	कवर किए गए मछुआरों की संख्या	दायर किए गए दावों की संख्या	स्वीकृत दावे	तय की गई राशि (रु. में)	अस्वीकृत दावे	लंबित दावों की संख्या	बीमा कंपनी के पास प्रक्रियाधीन दावे
1	अरुणाचल प्रदेश	1,417	0	0	0	0	0	0
2	असम	2,00,000	0	0	0	0	0	0
3	बिहार	1,50,000	1	1	5,00,000	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	2,20,522	0	0	0	0	0	0
5	गोवा	3,500	1	1	5,00,000	0	0	0
6	गुजरात	1,10,000	7	2	10,00,000	0	3	2
7	हरियाणा	1,500	0	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	10,998	3	2	5,75,000	1	1	0
9	झारखंड	1,74,050	2	0	0	0	0	2
10	कर्नाटक	80,099	15	6	30,00,000	1	1	7
11	मध्य प्रदेश	1,27,782	2	1	5,00,000	0	1	0
12	महाराष्ट्र	2,00,000	7	5	25,00,000	1	0	2
13	मणिपुर	1,500	0	0	0	0	0	0
14	मेघालय	1,223	0	0	0	0	0	0
15	उड़ीसा	8,47,975	23	20	81,64,059	1	2	5
16	पंजाब	3,482	0	0	0	0	0	0
17	राजस्थान	5,501	0	0	0	0	0	0
18	सिक्किम	819	0	0	0	0	0	0
19	तमिलनाडु	5,81,982	119	45	2,07,78,600	5	33	0
20	तेलंगाना	4,21,176	118	73	3,62,00,000	5	22	0
21	त्रिपुरा	1,10,659	0	0	0	1	0	0
22	उत्तर प्रदेश	1,20,295	2	1	5,00,000	0	0	0
23	उत्तराखंड	5,250	0	0	0	0	0	0
24	अंदमान और निकोबार	12,228	0	0	0	0	0	0
25	दिल्ली	500	0	0	0	0	0	0
26	दमन और दिउ	8,089	0	0	0	0	0	0
27	जम्मू एवं कश्मीर	29,503	3	2	10,00,000	0	1	0
28	लक्षद्वीप	2,810	1	1	5,00,000	0	0	0
29	लद्दाख	151	0	0	0	0	0	0
30	पुदुच्चेरी	38,061	6	2	10,00,000	0	3	0

अनुबंध- II

समूह दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5078 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण; बीमा दावों के वितरित राशि का राज्य एवं वर्षवार विवरण।

PMMSY GAIS -2021-22			
(26.07.2021 से 25.07.2022 तक)			
क्रम.सं	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम**	**दावों का भुगतान**	**भुगतान की गई राशि (रु. में)**
1	असम	2	5,23,746
2	गुजरात	1	5,00,000
3	हिमाचल प्रदेश	3	15,00,000
4	कर्नाटक	1	5,00,000
5	उड़ीसा	16	75,25,000
6	तमिलनाडु	120	5,85,75,000
7	तेलंगाना	191	9,50,25,000
8	अंदमान और निकोबार	1	5,00,000
9	जम्मू एवं कश्मीर	1	5,00,000
10	पुद्दुचेरी	9	40,25,000

PMMSY GAIS -2022-23			
कवरेज अवधि (26.07.2022 से 25.07.2023 तक)			
क्रम.सं	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम**	**दावों का भुगतान**	**भुगतान की गई राशि (रु. में)**
1	असम	1	500,000
2	बिहार	1	500,000
3	छत्तीसगढ़	4	1,750,000
4	गुजरात	5	2,500,000
5	हिमाचल प्रदेश	1	500,000
6	झारखंड	2	1,000,000
7	कर्नाटक	2	1,000,000
8	महाराष्ट्र	2	1,000,000
9	उड़ीसा	21	9,600,000
10	राजस्थान	2	1,000,000
11	तमिलनाडु	136	64,823,650
12	तेलंगाना	242	119,814,005
13	उत्तर प्रदेश	1	21,385
14	अंदमान और निकोबार	2	1,000,000
15	पुदुच्चेरी	4	1,525,000

PMMSY GAIS -2023-24			
कवरेज अवधि (26.07.2023 से 25.07.2024 तक)			
क्रम.सं	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम**	**दावों का भुगतान**	**भुगतान की गई राशि (रु. में)**
1	छत्तीसगढ़	6	30,00,000
2	कर्नाटक	4	20,00,000
3	महाराष्ट्र	1	5,00,000
4	उड़ीसा	20	1,00,00,000
5	तमिलनाडु	128	5,99,50,000
6	तेलंगाना	166	8,20,50,000
7	उत्तर प्रदेश	2	10,00,000
8	जम्मू एवं कश्मीर	1	5,00,000
9	पुदुच्चेरी	5	25,00,000

PMMSY GAIS 2024-25			
कवरेज अवधि (01.06.2024 से 31.05.2025 तक)			
क्रम.सं	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम**	**दावों का भुगतान**	**भुगतान की गई राशि (रु. में)**
1	असम	1	5,00,000
2	बिहार	1	5,00,000
3	छत्तीसगढ़	1	5,00,000
4	गुजरात	1	5,00,000
5	झारखंड	1	5,00,000
6	कर्नाटक	6	30,00,000
7	महाराष्ट्र	13	65,00,000
8	मणिपुर	1	5,00,000
9	उड़ीसा	18	90,00,000
10	तमिलनाडु	131	6,33,26,551
11	तेलंगाना	238	11,90,00,000
12	उत्तर प्रदेश	1	5,00,000
13	लक्षद्वीप	1	18,224
14	पुदुच्चेरी	8	35,25,000
PMMSY GAIS 2025-26			
कवरेज अवधि (01.06.2025 से 31.05.2026 तक)			
क्रम. सं	**राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नाम**	**दावों का भुगतान**	**भुगतान की गई राशि (रु. में)**
1	बिहार	1	5,00,000
2	गोवा	1	5,00,000
3	गुजरात	2	10,00,000
4	हिमाचल प्रदेश	2	5,75,000
5	कर्नाटक	6	30,00,000
6	मध्य प्रदेश	1	5,00,000
7	महाराष्ट्र	5	25,00,000
8	उड़ीसा	20	81,64,059
9	तमिलनाडु	45	2,07,78,600
10	तेलंगाना	73	3,62,00,000
11	उत्तर प्रदेश	1	5,00,000
12	जम्मू एवं कश्मीर	2	10,00,000
13	लक्षद्वीप	1	5,00,000
14	पुद्दुचेरी	2	10,00,000
